

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला रायपुर (छ.ग.)**

मोतीबाग रोड, घड़ी चौक, रायपुर छ.ग.

(e-mail :- cmho_raipur@yahoo.co.in) - Ph . No. 0771-2535304,2535315,0771-4271058

क्र./सी.एम.एच.ओ./डी.एम.एफ. सवि.नियु./सत्रह/2022/20361

रायपुर, दिनांक 16.09.2022

-:विज्ञापन:-

कार्यालय रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला पंचायत रायपुर के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/220151760427 रायपुर दिनांक 02.09.2022 एवं कार्यालय रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला पंचायत रायपुर के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/220121836353 रायपुर दिनांक 12.09.2022 के अनुसार रायपुर जिले में खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु जिला पंचायत रायपुर के प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत नवीन पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्ति हेतु निम्न तालिका में दर्शित पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर आयोजन दिनांक 21.09.2022 से पदों का आपूर्ति भर्ती पूर्ण होने तक पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है, पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है-

आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार

-निर्धारित प्रारूप में चाहे गये दस्तावेजों के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू प्रति दिवस कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

चयन प्रक्रिया

-उक्त तिथि में पहले आये अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण कर योग्य अभ्यर्थी को प्राथमिकता आधार पर चयन किया जावेगा।

● वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु रिक्तियों का विवरण:-

क्र.	कार्यक्रम का नाम	पदनाम	समेकित वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1	DMF	एम.डी. मेडिसिन	93750.00	8	एम.डी. / डी.एन.बी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
2		निश्चेतना विशेषज्ञ	93750.00	6	एम.डी./डी.ए./डी.एन.बी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
3		स्त्री रोग विशेषज्ञ	93750.00	4	एम.डी./डी.जी.ओ./डी.एन.बी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
4		जनरल सर्जन	93750.00	7	एम.एस./ डी.एन.बी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
5		शिशु रोग विशेषज्ञ	93750.00	7	एम.डी. / डी.एन.बी./डी.सी.एच. पीडियाट्रिक एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
6		रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट	93750.00	5	एम.डी./डी.एन.बी./डी.एम.आर.डी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
7		पैथोलॉजिस्ट	93750.00	1	एम.डी./डी.एन.बी./डी.सी.पी. एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन
योग				38	

भर्ती के संबंध में नियम/शर्तें आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- विज्ञापन का आवेदन प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश www.raipur.gov.in में एवं स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध है।
- आयु सीमा- 01 जनवरी 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना आवश्यक है। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जावेगी।
- निर्धारित आवेदन प्रारूप में चाहे गये दस्तावेजों के साथ वॉक-इन-इंटरव्यू में छायाप्रति संलग्न किया जाना है-
 - 10 वी/12 वी की अंकसूची
 - एम.बी.बी.एस.की संभू वर्ष की अंकसूची।
 - इंटरनशिप की प्रति।
 - स्नातकोत्तर/पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की प्रति।

R
1

- छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (स्थायी/अस्थायी) की प्रति।
 - छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - पहचान पत्र (आधार/वोटर आई.डी./पेन कार्ड) की प्रति।
 - अभ्यर्थी का 01 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ।
4. भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तों एवं दिशा-निर्देश-
1. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची/सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है।
 2. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
 3. चयनित अभ्यर्थी को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) के प्रशासकीय स्वीकृति में निर्धारित मानदेय अनुसार प्रदाय किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
 4. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञों का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है।
 5. चयनित अभ्यर्थी का कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
 6. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय में जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संसोधित लागू होंगे।
 7. संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।
 8. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेश के अनुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
 9. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।
 10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास, (डी.एम.एफ.) रायपुर का होगा।
 11. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र मूलतः लाना होगा।
 12. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पास-पोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें।
 13. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां अनिवार्यता संलग्न करें। एवं संलग्न नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।
 14. आवेदक आवेदन में संलग्न किये सभी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा।
 15. चयन प्रक्रिया का परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर की सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा।
 16. नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 संविदा आधार 31.03.2023 तक पूर्णता अस्थायी एवं अस्थानांतरणीय है।
 17. चयन उपरान्त सभी चयनित उम्मीदवारों बांड भरना होगा कि वे अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिये संबंधित अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे।
5. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या को घटाया एवं बढ़ाया या निरस्त भी किया जा सकता है।
6. उक्त नियुक्ति का चयन जिला खनिज संस्थान न्यास मद के अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायपुर, छ.ग.

13. अनुभव:-

क्र.	संस्था का नाम	पद का नाम	कार्योदेश क्र. एवं दिनांक	कार्य अवधि	वेतनमान
1					
2					
3					

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या:-

1. दसवीं/बारहवीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. जाति प्रमाण पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. निःशक्त प्रमाण पत्र
6. 78. मेडिकल कौंसिल संबंधी प्रमाण पत्र

.....

.....

.....

.....

.....

.....